

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक-वा0क0अधि0/लेखा/चि0प्रति0/ /16 लखनऊ:दि0:मार्च 16, 2016

-:: परिपत्र ::-

समस्त सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 के नियम-20 में सेवा नियमावली सरकारी सेवकों के लिये उपचार हेतु प्रतिपूर्ति द्वारा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी थी। उपरोक्त नियम को उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-474/पॉच-6-14-1082/87टीसी लखनऊ: दि0 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित करते हुये निम्न नियम प्रतिस्थापित किया गया:-

नियम-20 का प्रतिस्थापन	13-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे (क) सरकारी सेवकों के लिये:- रु0 1.00 लाख तक-कार्यालयाध्यक्ष रु0 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक-विभागाध्यक्ष रु0 2.50 से 5.00 लाख तक-सरकार का प्रशासकीय विभाग रु0 5.00 लाख से अधिक-चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग (ख) सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के लिये:- रु0 1.00 लाख तक सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष रु0 1.00 लाख से अधिक व रु0 5.00 लाख तक- सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी रु0 5.00 लाख से अधिक-सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवम् वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग।	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम स्वीकर्ता प्राधिकारी 20-उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- कार्यरत/सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के लिये:- छावे की धनराशि स्वीकर्ता प्राधिकारी रु0 2,00,000/-तक कार्यालयाध्यक्ष रु0 2,00,000/- से अधिक विभागाध्यक्ष रु0 5,00,000/-तक सरकार में प्रशासकीय विभाग रु0 10,00,000/- से अधिक वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग।

